BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 6 OF 2025

IN RE:

NEWS ITEM TITLED "MINING MAFIA BRINGS DOWN ANOTHER ARAVALLI HILL" APPEARING IN THE TRIBUNE DATED 21.12.2024

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent No. 2- Rajasthan State Pollution Control Board along with Affidavit.	1 – 5
2.	**Annexure R-2/1**: Copy of the Reply Letter dated 19.03.2025 issued by the Mining Engineer, Bharatpur.	6 – 11
3.	**Annexure R-2/2**: Copy of the Government of Rajasthan circular dated 05.07.2021.	12 – 13

Respondent No. 2
(Rajasthan State Pollution Control Board)

Through its Counsel

(Nishant Awana)
FOR NMA Law Chambers
Advocate
A-320, First Floor, Defence Colony,
New Delhi-110024
Ph- 011-35550654, +91-7838760760
office@nmalawchambers.in, nishantawana@outlook.com

Place: New Delhi
Date: 01.05.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1340 OF 2024

IN RE:
NEWS ITEM TITLED "MINING MAFIA BRINGS DOWN ANOTHER ARAVALLI HILL" APPEARING IN THE TRIBUNE DATED 21.12.2024

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2-RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The instant Reply is being filed on behalf of Respondent No. 2, i.e., Rajasthan State Pollution Control Board through its Member Secretary ("**answering Respondent**"), in compliance of order dated 22.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in the present OA ("**subject OA**") which has been instituted by this Hon'ble Tribunal taking *suo moto* cognizance of the captioned news article.

2. It is most respectfully submitted that the concerned area is situated near village Nangal in Tehsil Pahari of District Deeg (Rajasthan). After receiving information about the institution of the subject OA, the answering Respondent issued a letter dated 27.02.2025 to the Deputy Conservator of Forest, Deeg, Rajasthan, Sub-Divisional Magistrate, Deeg, Rajasthan and to the Mining Engineer, Department of Mines and Geology, Bharatpur, Rajasthan.

3. In response to the above-cited letter, the Mining Engineer, Bharatpur, submitted its Reply to the answering Respondent dated 19.03.2025 ("**ME Reply**") stating therein, that a spot inspection was conducted on 21.12.2024 of the area near village Nangal Tehsil Pahadi District Deeg by the answering Respondent, Mining Department, SDM Pahari, and Tehsildar Pahari.
   a. The ME Reply also detailed that a FIR No. 441 of 2024 has also been registered at Pahari Police Station against the illegal sand miners.
   b. During inspection, it had been found that the landslide-affected portion of the hill lies within the territorial jurisdiction of Haryana, with debris having fallen within the State of Rajasthan.
   c. The Geological Report, which indicated that the region comprises of quartzite and phyllite rocks, which are steeply bedded, fractured, and jointed. Due to natural weathering, loosening of material, and nearby past blasting-induced vibrations, cracks are developing over time.
   d. Eyewitness testimony from local resident Parvez Khan, who recorded the event on video, confirmed that no blasting activity had occurred at the time of the incident. The video verification and statements of other local residents corroborate that the landslide was due to self-sliding process.
   e. The Report concluded that there was no evidence found to support the claim that heavy explosives were used to bring down the hill, as mentioned in the newspaper article.

A copy of the Reply Letter dated 19.03.2025 issued by the Mining Engineer, Bharatpur is annexed herewith and marked as **Annexure R-2/1**.

4. It is state that in the area of village Nangal, Tehsil Pahari, District Deeg, there are a total 69 mining leases with valid consent to operate ("**CTO**").

5. The subject OA pertains to illegal mining, which falls under the jurisdiction of the Department of Mines & Geology, and in view of the circular issued by the Government of Rajasthan on 05.07.2021, the responsibility for 'controlling' illegal mining lies with the Forest Department, Mining Department, and District Administration. A copy of the Government of Rajasthan circular dated 05.07.2021 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2/2**.

6. The above-quoted information has been provided by the Respondent No. 2 *bonafide* and to aid this Hon'ble Tribunal's proceedings in the subject OA. It is further stated that Respondent No. 2 reserves its right to file a more detailed Report/ Reply as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

Respondent No. 2
(Rajasthan State Pollution Control Board)

Through its Counsel

(Nishant Awana)
FOR NMA Law Chambers
Advocate
A-320, First Floor, Defence Colony,

New Delhi-110024
Ph- 011-35550654, +91-7838760760
office@nmalawchambers.in, nishantawana@outlook.com

Place: New Delhi
Date: 01.05.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 6 OF 2025

IN RE:

NEWS ITEM TITLED "MINING MAFIA BRINGS DOWN ANOTHER ARAVALLI HILL" APPEARING IN THE TRIBUNE DATED 21.12.2024

AFFIDAVIT

I, Umesh Kumar, aged about 42 years, working as Regional Officer with the Respondent No. 2- RSPCB having its office at Regional Office, RSPCB, SPM Nagar Bharatpur, presently at Bharatpur, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Officer in Charge for the above noted matter and have been duly authorized by Respondent No. 2 in this regard. I am well conversant with the facts of the case, and, hence, competent to affirm this affidavit.
2. That the contents of the accompanying Reply have been drafted by my counsel under my instructions. Facts stated therein are true to my knowledge and the legal submissions made therein are based on the advice received and believed to be correct. Nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Manish Mavai
Bharatpur
Reg. 24761
Vali.-30-10-2029
GOVT. OF INDIA

DEPONENT
Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Bharatpur (Raj.)

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and as per the official records available. I say that no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Bharatpur on this 1st day of May, 2025.

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
BHARATPUR (RAJ.)
01/05/2025

DEPONENT
Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Bharatpur (Raj.)

Annexure R-2/1

Government of Rajasthan

Office of the Mining Engineer, Department of Mines And Geology, Bharatpur

No. ME/BPR/NGT/2025/ 1937 - 1939 Date 19.03.2025

Regional Officer,
Rajasthan pollution control Board
Bharatpur.

Subject- NGT Matter Original Application No. 06/2025(PB) in the matter of News item titled "Mining mafia brings down another Aravalli hill" appearing in The Tribune dated 21.12.2024 BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Ref. Your Letter No. 3320-24 Dated 27.02.2025.

Sir,

With reference to above subject, in the NGT Matter Original Application No. 06/2025(PB) Factual Report And List of Leases in Area are enclosed with letter (Annexure-I and II).

Enclosure- As Above.

Regards,

19/3/2025

(K.C.Goyal)

Mining Engineer, Bharatpur

For Information, Copy To-

1. District Collector, Deeg.
2. Superintending Mining Engineer, Bharatpur.

19/3/2025

Mining Engineer, Bharatpur

ANNEXURE-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भरतपुर

क्रमांकः– खअ/भरत/अवैध खनन/2025/ दिनांकः–19.03.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 06/2025

News item titled "Mining mafia brings down another Aravalli hill" appearing in The Tribune dated 21.12.2024.

माननीय न्यायायल आदेश दिनांक 22.01.2025 के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन

समाचार पत्र The Tribune अंक दिनांक 21.12.2024 में प्रकाशित खबर "Mining mafia brings down another Aravalli hill" के क्रम में माननीय न्यायायल आदेश दिनांक 22.01.2025 के संबंध निवेदन है कि दिनांक 23.12.2024 को अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता), भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर, खनि अभियंता(सतर्कता), जयपुर एवं खनि अभियंता भरतपुर मय तकनीकी कार्मिको की संयुक्त टीम द्वारा निकटग्राम नांगल तहसील पहाडी जिला डीग क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार विभिन्न समाचारो में दर्शाये गया यह स्थान पूर्व में खसरा संख्या 162 एवं नवीन खसरा संख्या 211 राजस्व ग्राम नांगल तहसील पहाडी जिला डीग में आता है। मौके पर घटना स्थल के अक्षांश देशांतर N27°47'59" E77°02'01" लिये गये। मौके पर खसरा संख्या 211 (पुराना खसरा संख्या 162) का कुल रकबा 126.52 हैक्टेयर है, जिसमें 34 हैक्टेयर में 34 खननपट्टे आवंटित किये गये गये, वर्तमान में 23 खनन पट्टे प्रभावशील है तथा 11 खनन पट्टे विभिन्न कारणों से खण्डित किये जा चुके है। दिनांक 21.12.2024 को खान विभाग के तकनीकी कार्मिक मय उपखण्ड अधिकारी पहाडी, तहसीलदार पहाडी, राजस्थान राज्य प्रदुषण मंडल भरतपुर द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार क्षेत्र के खसरा संख्या 211 में पुराने अवैध खनन पिट में पिट साईज 20m X 12m X 4.5m क्षेत्र में ताजा अवैध खनन पाये जाने पर नामजद अवैध खननकर्ताओं विरूद्ध नियमानुसार मौका पंचनामा बनाया जाकर एफआईआर संख्या 441/2024 पुलिस थाना पहाडी में दर्ज कराई गई।

संयुक्त टीम द्वारा मौके पर खिसके हुये पहाड का बारीकी से निरीक्षण किये जाने पर पहाड का गिरा हुआ हिस्सा हरियाणा राज्य सीमा में होना पाया गया, जिसका कुछ मलबा राजस्थान सीमा में गिरा पाया गया। मौके पर खनन कार्य राजस्थान सीमा में किया जाना पाया गया। पहाड के गिरने के संबंध में जियोलोजिकल स्ट्रेटा एवं फैक्चर जोन के संबंध में भू–वैज्ञानिक, कार्यालय अधीक्षण भूवैज्ञानिक भरतपुर ने बताया कि उक्त क्षेत्र में मुख्यतः क्वार्टाइज व फिलाईट चट्टाने है, जो कि स्टीप डिप बेडेड, फैक्चर्ड, जोईनटेट है एवं बेडिंग प्लेन में लूज मेटेरियल होने के कारण एवं आस–पास क्षेत्र में पूर्व में की गई ब्लास्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले पहाड Vibrations से चट्टानों में लगातार क्रेक डवलप हुये एवं क्षेत्र में ऊपरी सतह पर मृदा एवं वनस्पति नगण्य होने के कारण ऊपरी सतह में चट्टानो की वेदरिंग एवं लूज मेटेरियल निकलने के कारण क्रेक जोन डवलप हो रहा है। जिसका सत्यापन हरियाणा राज्य की सीमा में पहाड के ऊपर जाकर देखकर भी किया गया तो पाया गया कि ऊपर पहाड पर कई जगह लिनियर क्रेक डवलप हो रखे है एवं

जिनकी वजह से कभी भी निकट भविष्य में पहाड के गिरने की सम्भावना है। हरियाणा राज्य की सीमा से लगते हुये खनन पट्टो के ऊपर क्रेक डवलप होने से उनमें ब्लास्टिंग को प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही की गई, मौका क्षेत्र के पूर्व दिशा में 392/09 एवं उत्तर दिशा में खनन पट्टा संख्या 425/03 का निरीक्षण दिनांक 23.12.2024 को किया गया, निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य असुरक्षित पाये जाने पर पट्टाधारियों को नोटिस दिनांक 24.12.2024 से जारी किया गया, श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर आदेश दिनांक 30.12.2024 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 90 के तहत खनन कार्य बन्द किया गया। दक्षिण दिशा में खनन पट्टा संख्या 338/07 का निरीक्षण दिनांक 23.12.2024 को किया जाकर पट्टाधारी को नोटिस दिनांक 24.12.2024 से जारी किया गया, खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य पहले से ही श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर आदेश दिनांक 02.11.2022 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 90 के तहत बन्द है।

चूंकि जो पहाड गिरा है, मुख्य रूप से क्रेक होने की वजह से गिरा है। मौके पर पहाड गिरने का विडियो बनाने वाले व्यक्ति श्री परवेज खान उपस्थित हुये एवं मौका बयान पर्चा में बताया कि वह दिनांक 19.12.2024 को समय लगभग 3:06 पर हरियाणा सीमा में पहाड के ऊपर बकरिया चरा रहा था, तभी अचानक लगभग 50 मीटर दूर पहाड भर–भरा कर गिरने लगा। मौके पर कोई ब्लास्टिंग की आवाज नहीं आई। श्री परवेज द्वारा स्वंय के मोबाईल नं. 9991824121 से पहाड गिरने का विडियो बनाया गया तथा उनके दोस्त श्री सरफराज जिनके दुरभाष नम्बर 9518845348 को विडियो भेजा। श्री परवेज द्वारा बताया गया कि उपरोक्त जगह पर पिछले काफी समय से काम बन्द है, एवं किसी प्रकार की कोई ब्लास्टिंग होते हुये नहीं देखी गई। मौके पर श्री परवेज के मोबाईल को चैके करने पर मूल विडियो पाया गया तथा विडियो सरफराज नाम के व्यक्ति को भेजा जाना पाया गया। मौके पर जांच के दौरान हरियाणा राज्य की सीमा में कुछ अन्य व्यक्ति उपस्थित हुये, जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.12.2024 को जो पहाड का हिस्सा ढहा है, वो अपने आप ही गिरा है। उनके घर हरियाणा राज्य की सीमा में पहाड की तलहटी मे रवा गांव मे स्थित है, वे अक्सर पहाड पर बकरिया चराने आते है। उनके द्वारा पिछले काफी समय से उक्त स्थान पर खनन कार्य व ब्लास्टिंग होते हुये नहीं देखी गई।

अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध विभाग द्वारा समय समय पर औचक एवं अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। कार्यालय द्वारा वित्तिय वर्ष 2022–23 से दिनांक 15.02.2025 तक तक अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई है–

क्र. सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या				वसूल की गई राशि (राशि लाखों में)	दर्ज एफआईआर
		खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल		
1	2022–23	17	114	0	131	105.44	15
2	2023–24	39	148	6	193	236.97	14
3	2024–25 (18.03.25 तक)	31	96	2	129	175.35	15
कुल		87	358	8	453	517.76	44

उक्तानुसार कार्यालय द्वारा वित्तिय वर्ष 2022–23 से दिनांक 15.02.2025 तक अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध कुल 438 प्रकरण दर्ज कर राशि रू. 485.16 लाख की वसूली की गई तथा 39 प्रकरणों मे संबंधित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

मौका स्थिति, रिकॉर्ड एवं साक्ष्य अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक का प्रयोग कर पहाड को गिराना बताया गया है, की पुष्टि नहीं होती है। समाचार पत्र The Tribune अंक दिनांक 21.12.2024 में प्रकाशित खबर *"Mining mafia brings down another Aravalli hill"* में वर्णित *"In 2023, over 8 crore metric tonnes worth of mining mate-rial spread across hills in Naharika, Chittora and Rava villages of Nuh had vanished, causing a loss of more than Rs 2,100 crore to Haryana hue and cry was raised an even FIRs were lodged, but no action has been taken to date"* तथ्य इस कार्यालय/विभाग की जानकारी में नही है।

खनि अभियंता भरतपुर

ANNEXURE-2

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एंव भू विज्ञान विभाग, भरतपुर (राज.)

ग्राम नांगल तहसील पहाडी जिला डीग क्षेत्र में प्रभावशील खनन पटटों की सूची -

Sr.No.	M.L. No.	Name of Lessee/ Licensee/LOI Holder	Near Village	Tehsil	District	Area in Hect.
1-	65/02	श्री महबूब	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
2-	66/02	श्री अशोक कुमार जैन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
3-	68/02	श्री भरत लाल	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
4-	70/02	श्री शामवीर भडाना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
5-	71/02	श्रीमती मधु भडाना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
6-	72/02	श्री सुमित भडाना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
7-	73/02	श्री बलवीर सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
8-	74/02	श्रीमती मधु भडाना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
9-	76/02	श्री सन्दीप चन्द्रा	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
10-	89/02	मै० झिरकेश्वर महादेव स्टोन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
11-	104/02	श्री प्रदीप कुमार	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
12-	120/02	श्री शरद जैमन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
13-	121/02	श्रीमती हारूनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
14-	122/02	श्री नरेश कुमार	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
15-	128/02	मैसर्स एच.टी.सी.एण्ड कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
16-	310/02	मै. जे.टी.सी. एण्ड कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
17-	315/02	मै. शिव इन्फा प्रोजेक्ट,	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
18-	325/02	मैसर्स एस.बी.एम.स्टोंन केसिंग कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
19-	327/02	श्री असलम	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
20-	345/02	श्री लखवीर सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
21-	347/02	श्री सैकुल	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
22-	471/02	मैसर्स जी.टी.सी. एण्ड कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
23-	480/02	श्रीमती ब्रह्मा देंवी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
24-	483/02	मै. फैन्डस ग्रिट उघोग,	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
25-	484/02	श्री आस मौहम्मद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
26-	486/02	मुवीन .अहमद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
27-	487/02	श्री मुवीन अहमद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
28-	3/03	मैसर्स स्वयं भू इन्फा प्रा० लि०	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
29-	38/03	मैसर्स पॉच भाई स्टोंन केशर कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
30-	94/03	कैफीन नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा०लि०	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
31-	95/03	कैफीन नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा०लि०	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
32-	132/03	श्री आजाद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
33-	134/03	श्री अली मौहम्मद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
34-	357/03	मैसर्स मौहम्मद जैद स्टोंन कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
35-	425/03	श्री सीताराम सिंगला	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
36-	429/03	मुर्करम आलम	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
37-	441/03	श्री वाहिद खान एवं श्री शिव कुमार सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
38-	443/03	मैसर्स विन्ध्याचल स्टोंन एण्ड माइन्स प्रा. लि.	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0

39-	445/03	श्री चन्दर पुत्र श्री खुट्टा	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
40-	447/03	श्रीमती मंजू यादव	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
41-	552/03	विकाश जैन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
42-	203/05	श्री बलवीर सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
43-	348/05	मैसर्स डॉ0 एम.डी.रोकुल खान स्टोंन कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
44-	351/05	श्री अलीमोहम्मद	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
45-	346/06	मै. इस्लाम एण्ड कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
46-	355/06	मैसर्स एम.बी.टी. स्टोंन एण्ड केशर	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
47-	356/06	श्री सुरेन्द्र कुमार	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
48-	372/06	श्री महबूब व श्री असलम	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
49-	377/06	श्री देवराज	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
50-	416/06	श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
51-	417/06	मैसर्स मेवात स्टोंन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
52-	433/06	मौ0 साहिब	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
53-	434/06	मौ0 साहिब	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
54-	451/06	श्री सुभाष चन्द	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
55-	498/06	श्री मुवीन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
56-	285/07	श्री सुमित भडाना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
57-	338/07	श्री अयूब खान	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
58-	354/07	मैसर्स शिव ग्रिट उधोग	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
59-	358/07	मैसर्स पॉच भाई स्टोंन केशर कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
60-	359/07	मैसर्स सालासर मिनरल्स	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
61-	361/07	श्रीमती बसराना पत्नी श्री ताहिर हुसैन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
62-	362/07	श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री मुर्करम आलम	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
63-	366/07	श्रीमती जैबूना	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
64-	371/07	श्री नासिर पुत्र श्री कमरूद्दीन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
65-	373/07	मैसर्स एच.टी.सी.एण्ड कम्पनी	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
66-	375/07	श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री भरत सिंह	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
67-	376/03	वहीद खान	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
68-	92/08	श्री सौयब पुत्र श्री राजू	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
69-	204/08	श्री विपिन गोयल पुत्र श्री मूलचन्द गोयल	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
70-	205/08	श्री समसू पुत्र श्री सम्पत	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
71-	443/08	मैसर्स श्री शिव स्टोन केशर	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
72-	62/09	श्री फकरूद्दीन पुत्र श्री इसराइल) एवं श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राम नारायण	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
73-	76/09	श्रीमति नीरू राठौर	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
74-	77/09	श्रीमती आसी उर्फ आशिया	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
75-	78/09	श्रीमति हफीजन पत्नि श्री समसुद्दीन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
76-	98/09	श्री जाकिर हुसैन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
77-	218/09	मै. श्रीबालाजी इन्फ्रा प्रोजेक्ट	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
78-	392/09	श्री जाहुल	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
79-	1/2021	श्री दीपांशु खण्डेलवाल	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.5
80-	4/2021	श्री प्रमोद जैन	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0
81-	5/2021	श्री सुनील कुमार	नांगल	पहाडी	भरतपुर	1.0

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांकः 05 JUL 2021

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के कम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन सरंक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर–वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेवारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.)/उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान)/(भू–विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

5721